

परियोजना का नाम:- संगलाकोटी-भैरवांव-गुलिडडा मोटर मार्ग का तिलखोली-जोड़ी तक विस्तार।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भू-वैज्ञानिक अभियंता
 (प्रशिक्षित पेशेवर)
 ज्यो. वि. वि. वि.
 03/03/2024

भू-वैज्ञानिक अभियंता
 ज्यो. वि. वि. वि.
 03/03/2024

परियोजना का नाम:- संगमोली-श्रीवा-गुड्डा मोटर मार्ग का निखोली-जोड़ी तक विस्तार।
Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted.
- (iii) Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads. Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints. Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. Like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting cor netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.

- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोजन द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदान उक्त संशुद्धियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।

परियोजना का नाम:- संगलाकोटी-भैरगांव-गुडिडा मोटर मार्ग का तिलखोली-जोड़ी तक विस्तार।

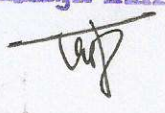
मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रथमतः भूमि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेंसी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे और ऐसा किसे जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निश्चित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जाएगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहृत्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किसे विना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेंसी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः विना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लीओनिओस द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लीओनिओस को सम्बन्धित पत्र संख्या 608 सीओ डिनिक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लीओनिओस द्वारा किया जाएगा। वन भूमि पर अश्वत्थामा वनाग्नि अथवा वन मार्गों का सृष्टिकरण/चौकीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारते सरकार, पश्चिम बंगाल एवं वन, मंत्रालय की रवीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरवारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के कुत्तने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन विभाग किया जाएगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पालन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पालन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेंगी।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।


 प्रमुख अभियन्ता
 निर्माण एवं
 नो. नि. नि.


 निदेशाधीन अभियन्ता
 निर्माण एवं
 नो. नि. नि.